<u>न्यायालयः—श्रीमती अंकिता मुदलियार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, साजा जिला बेमेतरा छ.ग.</u>

सी आई एस नं.— 337/2018
इस्तगासा क. — 03/2018
संस्थित दिनांक — 13.08.2018

छ0ग0 राज्य द्वारा,
आरक्षी केन्द्र— साजा
जिला बेमेतरा छ.ग. ..... **<u>अभियोजन</u>**

//विरूद्ध//

गोलू उर्फ मंगलू पारधी पिता प्यारे पारधी
उम्र 20 साल, साकिन रगरा, हाल— मेंहदी,
थाना घुमका, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) ..... **<u>अभियुक्त</u>**

———————————————————————————————

अभियोजन द्वारा :— श्री लखन सिंह टेकाम ए.डी.पी.ओ.
अभियुक्त द्वारा :— श्री योगेन्द्र चंदेल अधिवक्ता

———————————————————————————————

—// निर्णय //—
(आज दिनांक 01.10.2021 को पारित)

———————————————————————————————

1. अभियुक्त गोलू उर्फ मंगलू पारधी के विरूद्ध धारा—403 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक 15.04.2018 को समय करीबन 18:10 बजे साकिन— भाठापारा साजा, अंतर्गत थाना साजा, जिला बेमेतरा (छ.ग.) से सोना—चांदी के जेवरात एक नग चांदी का पैरी, चार नग चांदी जैसी धातु का फटा पुराना इस्तेमाली, एक नग चांदी का चॉबी रिंग, एक नग चांदी का अंगूठी, एक नग चांदी का चुटकी, दो भाग में टूटा हुआ चांदी जैसे धातु का बचकानी चूड़ा पुरानी इस्तेमाली, एक नग सोने जैसे धातु का लॉकेट डबल मुण्डी (मंगलसूत्र) पुरानी इस्तेमाली, दो नग सोने जैसे धातु का पत्ती, चार नग सोने जैसे धातु का पत्ती पुरानी इस्तेमाली, चार नग सोने जैसे धातु का गेहूं का दाना पुरानी इस्तेमाली कुल कीमती

करीबन 43,820/— रूपये को अपनी संपत्ति नहीं होना जानते हुये स्वयं के उपयोग में लाकर संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर आपराधिक दुर्विनियोग किया।

2. प्रकरण में कोई स्वीकृत तथ्य नही है।

3. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 15.04.2018 को समय लगभग करीबन 18:10 बजे थाना साजा के प्रधान आरक्षक सुखनंदन सिंह ठाकुर को मुखबीर से सूचना मिली कि दिनांक 15.04.2018 को हमराह आरक्षक 213 के दौरान टाउन पेट्रोलिंग जुर्म जरायन पतासाजी भाटापारा साजा पर पहुंचे थे। मुखबीर सूचना मिली कि आरोपी गोलू उर्फ मंगलु पारधी उक्त दिनांक को चोरी का माल रखकर बेचने के लिए ग्राहक ढूंढ रहा है की सूचना पर हमराह स्टॉफ के मौके पर जाकर आरोपी गोलू उर्फ मंगल पारधी पुलिस को देखकर भागने का प्रयास कर रहा है जिसे घेराबंदी कर पकड़े जाने व चेक करने पर कपड़ा में सोने—चांदी का भिन्न—भिन्न जेवरात रखा है जिन्हें पूछताछ कर हिरासत में लिया गया । उक्त संपत्ति को चोरी की मशरूका होने के संदेह पर जप्त किया जाकर अभियुक्त को धारा 91 दण्ड प्रकिंया संहिता को नोटिस दिया गया। उक्त संपत्ति के संबंध में कोई कागजात नही होने पर चोरी का होने पर संदेह पर थाना साजा द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध इस्तगासा तैयार कर पंजीबद्ध किया गया। गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त के मेमोरेण्डम कथन लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत इस्तगासा पत्र क. 03/2018 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

4. अभियुक्त के विरूद्ध धारा 403 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध की विशिष्टियां विरचित कर पढकर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध से इंकार कर प्रतिरक्षा की मांग की।

5. अभियुक्त द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फसाये जाने का कथन किये हैं तथा अपने बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं किये हैं।

6. अभिययोजन द्वारा अपने घटना के समर्थन में साक्षी **(लीलादास मानिकपुरी अ.सा.1)**, **(गोपाल बंजारे अ.सा.2)**, एवं **(प्रधान आरक्षक सुखनंदन सिंह ठाकुर अ.सा.3)** का साक्ष्य न्यायालय में लेखबद्ध कराया है।

6. **<u>प्रकरण मे विचारणीय प्रश्न इस प्रकार है कि—</u>**

क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक 15.04.2018 को समय करीबन 18:10 बजे साकिन— भाठापारा साजा, अंतर्गत थाना साजा, जिला बेमेतरा (छ.ग.) से सोना—चांदी के जेवरात एक नग चांदी का पैरी, चार नग चांदी जैसी धातु का फटा पुराना इस्तेमाली, एक नग चांदी का चॉबी रिंग, एक नग चांदी का अंगूठी, एक नग चांदी का चुटकी, दो भाग में टूटा हुआ चांदी जैसे धातु का बचकानी चूड़ा पुरानी इस्तेमाली, एक नग सोने जैसे धातु का लॉकेट डबल मुण्डी (मंगलसूत्र) पुरानी इस्तेमाली, दो नग सोने जैसे धातु का पत्ती, चार नग सोने जैसे धातु का पत्ती पुरानी इस्तेमाली, चार नग सोने जैसे धातु का गेहूं का दाना पुरानी इस्तेमाली कुल कीमती करीबन 43,820/— रूपये को अपनी संपत्ति नहीं होना जानते हुये स्वयं के उपयोग में लाकर संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर आपराधिक दुर्विनियोग किया ?

<u>साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष</u>

7. प्रकरण में अभियुक्त गोलु उर्फ मंगलू पारधी के विरूद्ध संस्थित अपराध धारा 403 भा.दं.सं. के संबंध में अभियोजन द्वारा घटना के समर्थन में साक्षी निरीक्षक **(प्रधान आरक्षक सुखनंदन सिंह ठाकुर अ.सा.3)** अपने मुख्य परीक्षण में

अभिसाक्ष्य दिया है कि, साक्षी द्वारा घटना दिनांक 15.04.2018 को हमराह आरक्षक 213 के दौरान टाउन पेट्रोलिंग जुर्म जरायन पतासाजी भाटापारा साजा पर पहुंचे थे जरिये मुखबीर सूचना मिली कि आरोपी गोलू उर्फ मंगलू पारधी उक्त दिनांक को चोरी का माल रखकर बेचने के लिए ग्राहक ढूंढ रहा है की सूचना पर हमराह स्टॉफ के मौके पर जाकर आरोपी गोलू उर्फ मंगलू पारधी पुलिस को देखकर भागने का प्रयास कर रहा है जिसे घेराबंदी कर पकड़े जाने व चेक करने पर कपड़ा में सोने—चांदी का भिन्न—भिन्न जेवरात रखा है जिन्हें पूछताछ कर हिरासत में लेकर साक्षियों को 160 द. प्रं.सं. का नोटिस देकर तलब किया गया। साक्षियों के सामने संदेही से पूछताछ करने पर एक माह पूर्व अपने गांव से रिश्तेदारी में ग्राम किशोरा आते समय रात्रि में एक घर का ताला तोड़कर कमरा अंदर रखे सोना चांदी जेवरात चोरी करना जिसे बेचने के लिए ग्राहक ढूंढते साजा आना बताते हुए उक्त सामान के संबंध में आरोपी को 91 द. प्र.सं. का नोटिस देने पर कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। जो अभियुक्त के विरूद्ध धारा 41 (1—4) जाफौ धारा 379, भादवि का प्रकरण क्रमांक 03/2018 कायम कर जॉच में लिया गया। जॉच के द्वारा 160 द.प्र.सं. का नोटिस प्र.पी.02 एवं प्र.पी. 06, धारा 91 का नोटिस प्र.पी.08, मेमोरेण्डम बयान प्र.पी.01, जप्ती पत्रक प्र.पी.03, गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.04 एवं गिरफ्तारी की सूचना प्र.पी.09 है।

10. इसी अग्रसरण में जप्ती साक्षी (**लीलादास मानिकपुरी अ.सा.1)** ने मुख्य परीक्षण में अभिसाक्ष्य दिया है कि साक्षी अभियुक्त गोलू उर्फ मंगलू पारधी को नहीं जानता है, एवं थाना हाजरी में गया था तो पुलिस के कहने पर कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया था। उसने उक्त दस्तावेजों को नहीं पढ़ा था और न ही पुलिस वाले उसे पढ़कर सुनाये थे। मेमोरेण्डम प्र.पी.01, साक्षी नोटिस प्र.पी.02, जप्ती पत्रक प्र.पी.03, गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.04 है जिसके क्रमशः अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर

है। उसने पुलिस को कोई भी बयान नहीं देने का कथन किया है, पुलिस बयान प्र.पी. 05 है। जिसका समर्थन अन्य जप्ती साक्षी (**गोपाल बंजारे अ.सा.2)** ने भी किया है। उक्त दोनों जप्ती साक्षियों ने भारतीय साक्ष्य अधि. की धारा 154 के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाने पर मेमोरेण्डम बयान, साक्षी नोटिस धारा 160 द.प्र.सं., जप्ती पत्रक प्र.पी.03 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.04 का समर्थन नहीं किया है एवं बिना पढ़े हस्ताक्षर किये जाने का साक्ष्य दिया है। उक्त दोनों जप्ती साक्षी को अभियोजन द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 154 के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाने पर भी अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और न ही अपने समक्ष पुलिस वालों द्वारा कोई कार्यवाही किया जाना बताया गया है।

11. प्रकरण में यद्यपि अभियुक्त को धारा 403 भादस के अंतर्गत अभियोजित किया गया है, किंतु उक्त अपराध के तथ्यों को प्रमाणित किये जाने हेतु अभियुक्त द्व ारा उनके आधिपत्य से कथित रूप से बरामद सोना—चांदी के जेवरात एक नग चांदी का पैरी, चार नग चांदी जैसी धातु का फटा पुराना इस्तेमाली, एक नग चांदी का चॉबी रिंग, एक नग चांदी का अंगूठी, एक नग चांदी का चुटकी, दो भाग में टूटा हुआ चांदी जैसे धातु का बचकानी चूड़ा पुरानी इस्तेमाली, एक नग सोने जैसे धातु का लॉकेट डबल मुण्डी (मंगलसूत्र) पुरानी इस्तेमाली, दो नग सोने जैसे धातु का पत्ती, चार नग सोने जैसे धातु का पत्ती पुरानी इस्तेमाली, चार नग सोने जैसे धातु का गेहूं का दाना पुरानी इस्तेमाली कुल कीमती करीबन 43,820/— रूपये को बेईमानीपूर्वक दुविर्नियोग करते हुये स्वयं के उपयोग के लिये संपरिवर्तित किये जाने की पुष्टि किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में थाना साजा की ओर से प्रस्तुत इस्तगासा प्रकरण में स्वयं जप्तशुदा संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिल पाने और न ही निकट भविष्य में इस बाबत किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होने का

उल्लेख करते हुये अभियुक्त को धारा 403 भा.द.सं. के अंतर्गत अभियोजित किये जाने का निवेदन किया गया है। धारा 403 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध के तथ्यों को आकर्षित करने हेतु अभियुक्त द्वारा उन्हें प्राप्त संपत्तियों का स्वामित्व अन्य किसी व्यक्ति के होने के पश्चात भी उक्त संपत्ति को स्वयं के उपयोग के लिये बेईमानीपूर्वक परिवर्तित किये जाने की पुष्टि किया जाना आवश्यक हैं।

10. वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त के आधिपत्य से कथित रूप से बरामद जप्तशुदा संपत्ति का स्वामित्व अन्य किसी व्यक्ति के पास होने के समर्थन में किसी प्रकार के तथ्य दर्शित नहीं किये गये है, जिससे यह निश्चित रूप से निर्धारित नही किया जा सकता कि अभियुक्त द्वारा उपरोक्त संपत्ति पर अन्य व्यक्ति के स्वामित्व होने की जानकारी होने अथवा स्वामित्व के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु सक्षम होने के पश्चात भी जप्तशुदा संपत्ति को स्वयं के उपयोग के लिये परिवर्तित करते हुये उसका आधिपत्य प्राप्त कर अपने कब्जे में रखा। चूंकि प्रकरण में अभियुक्त के आधिपत्य से सोना—चांदी के जेवरात एक नग चांदी का पैरी, चार नग चांदी जैसी धातु का फटा पुराना इस्तेमाली, एक नग चांदी का चॉबी रिंग, एक नग चांदी का अंगूठी, एक नग चांदी का चुटकी, दो भाग में टूटा हुआ चांदी जैसे धातु का बचकानी चूड़ा पुरानी इस्तेमाली, एक नग सोने जैसे धातु का लॉकेट डबल मुण्डी (मंगलसूत्र) पुरानी इस्तेमाली, दो नग सोने जैसे धातु का पत्ती, चार नग सोने जैसे धातु का पत्ती पुरानी इस्तेमाली, चार नग सोने जैसे धातु का गेहूं का दाना पुरानी इस्तेमाली कुल कीमती करीबन 43,820/— रूपये को जप्त किये जाने के तथ्यों की पुष्टि स्वतंत्र साक्षियों द्वारा नही की गई है और न ही अभियुक्त के विरूद्ध धारा 403 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध की पुष्टि हेतु जप्तशुदा संपत्ति के स्वामित्व को दर्शित करते हुये सोना—चांदी के जेवरात एक नग चांदी का पैरी, चार नग चांदी जैसी धातु का फटा

पुराना इस्तेमाली, एक नग चांदी का चॉबी रिंग, एक नग चांदी का अंगूठी, एक नग चांदी का चुटकी, दो भाग में टूटा हुआ चांदी जैसे धातु का बचकानी चूड़ा पुरानी इस्तेमाली, एक नग सोने जैसे धातु का लॉकेट डबल मुण्डी (मंगलसूत्र) पुरानी इस्तेमाली, दो नग सोने जैसे धातु का पत्ती, चार नग सोने जैसे धातु का पत्ती पुरानी इस्तेमाली, चार नग सोने जैसे धातु का गेहूं का दाना पुरानी इस्तेमाली कुल कीमती करीबन 43,820/— रूपये को बेईमानीपूर्वक अभियुक्त द्वारा दुविर्नियोग किये जाने के तथ्यों को दर्शित किया गया है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 403 भा.द.सं. के तथ्यों की पुष्टि युक्तियुक्त रूप से नही की जा सकती है।

11. अतः अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण में आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 403 भा.दं.सं. युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामस्वरूप **अभियुक्त गोलू उर्फ मंगलू पारधी को धारा 403 भा.दं.सं.** के अपराध से **दोषमुक्त** किया जाता है।

12. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

13. प्रकरण में जप्तशुदा सोना—चांदी के जेवरात एक नग चांदी का पैरी, चार नग चांदी जैसी धातु का फटा पुराना इस्तेमाली, एक नग चांदी का चॉबी रिंग, एक नग चांदी का अंगूठी, एक नग चांदी का चुटकी, दो भाग में टूटा हुआ चांदी जैसे धातु का बचकानी चूड़ा पुरानी इस्तेमाली, एक नग सोने जैसे धातु का लॉकेट डबल मुण्डी (मंगलसूत्र) पुरानी इस्तेमाली, दो नग सोने जैसे धातु का पत्ती, चार नग सोने जैसे धातु का पत्ती पुरानी इस्तेमाली, चार नग सोने जैसे धातु का गेहूं का दाना पुरानी इस्तेमाली कुल कीमती करीबन 43,820/— रूपये को राजसात किया जावे। अथवा प्रकरण में अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का निर्णय प्रभावशील होगा।

14. प्रकरण में धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत रिमाण्ड से लेकर विचारण दिनांक तक अभियुक्त के निरोध में रहे है। उक्त संबंध में धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रमाण पत्र पृथक से तैयार कर निर्णय के साथ संलग्न किया गया।

आज दिनांक को दिनांकित व हस्ताक्षरित कर निर्णय घोषित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित।

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा, जिला बेमेतरा (छ.ग.)

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा, जिला बेमेतरा (छ.ग.)

न्यायालयः—श्रीमती अंकिता मुदलियार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, साजा जिला बेमेतरा छ.ग.

सी आई एस नं.— 337/2018
इस्तगासा क्र. — 03/2018
संस्थित दिनांक — 13.08.2018

धारा 428 दण्ड प्रकिया संहिता का प्रमाण पत्र

क्रं.	अभियुक्त का नाम	पिता/पति का नाम	न्यायिक अभिरक्षा की अवधि	पुलिस अभिरक्षा की अवधि	कुल अभिरक्षा की अवधि
1.	गोलू उर्फ मंगलू पारधी	प्यारे पारधी	निरंक	16.04.2018 से 06.11.2018 तक	16.04.2018 से 06.11.2018 तक

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा, जिला बेमेतरा (छ.ग.)